



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

03/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
अप्रार्थी सं. 4 का जवाब अवसर बंद किया
जाता है। प्रार्थीगण द्वारा फर्द इस्तार्जेज पेश
शां. फा. पत्रावली वास्ते ब्यटल दिनांक
10/12/25 को पेश हो।


03/10/25

10/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
सुमित्रावती ब्यटल प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली का अपेक्षित
किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अर्थात्
धारा-212 R.T. Act का स्वीकार किया जाकर
ताफैसला मूलवाद इस आशय कि अस्थाई
निषेधाज्ञा से अप्रार्थी नं. 1 को राबन्द किया
जाता है कि ग्राम माधनिया क्षारानी खाना
सं. 34 व 35 में केवल अप्रार्थी कम 1 रकेश
कुमार के हिस्से 1/3 के 1/2 यानी 1/6 पर
बैचान, दान, अन्तरण नही करें। प्रकरण
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर
मूलवाद के साथ संलग्न हो।


10/12/25

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला लावाड (राज.)

